न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 111/2018 GCMS No.2018/00315

1. श्रवणी देवी पत्नी भोबाराम उम्र 60 वर्ष
2. लक्ष्मी देवी पत्नी धीरमल उम्र 55 वर्ष
3. सन्तोष पत्नी मामचन्द उम्र 53 वर्ष

जाति अहीर निवासी बहलवान नगर पोस्ट नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राज. .... वादियागण

ब–ना–म

1. गणेश पुत्र नाराना
2. ताराचन्द पुत्र नाराना
3. गजानन्द पुत्र नाराना
   जाति गुर्जर निवासी भिटेरा पोस्ट नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.
4. धुड़ाराम पुत्र गुलाब दोहिता नाराना जाति गुर्जर निवासी बहलवान नगर पोस्ट नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. पतासी पुत्री नाराना पत्नी सरदाराराम जाति गुर्जर निवासी कोल्याली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.
6. भागली पुत्री नाराना पत्नी रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी हाल जिलो तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज.
7. सरबती पत्नी महादा जाति गुर्जर निवासी बहलवान नगर पोस्ट नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज – **मृतक**
8. बाबूलाल पुत्र महादा
9. रोहिताश पुत्र सुरजा
10. सन्तोष पत्नी माडू
11. सन्दीप पुत्र स्व. माडू
12. सुनिता पत्नी भादर
13. राजेन्द्र पुत्र भादर
14. सुरेन्द्र पुत्र भादर
15. जयप्रकाश पुत्र भादर
16. श्रीराम उर्फ गीगा पुत्र जमना
17. जगदीश उर्फ नानीग पुत्र जमना
    जाति गुर्जर निवासी बहलवान नगर पोस्ट नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.
18. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
19. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
20. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नंगली सलेदीसिंह जरिये शाखा प्रबन्धक।
21. झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड झुन्झुनूं शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

दावा पत्र संख्या:- 111/2018
श्रीमती श्रवणी देवी आदि बनाम गणेश आदि

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक : 17.11.2025

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12–07–2024 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम **ग्राम भिटेरा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि **हाल खाता संख्या नया 71** में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 252, 263, 264, 828/352 कुल किता 4 कुल रकबा 4.11 है. में वादियागण का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, **खाता संख्या नया 33** में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 355, 370, 371, 825/251, 83 कुल किता 5 कुल रकबा 4.41 है. में वादियागण का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का तथा **ग्राम बहलवान नगर स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 53** खसरा नंबर 573 रकबा 1.48 है. में वादियागण का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का दर्ज राजस्व रिकार्ड व मौका कब्जा काश्त के अनुसार अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार खेतड़ी को 1500 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार खेतडी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार खेतडी ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./ 2025/ 1711 दिनांक 11.07.2025 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादियागण विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार खेतडी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–9'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1 लगायत ''ब–2'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–9'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1 लगायत ''ब–2'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–9'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1 लगायत ''ब–2'') के अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–9'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1 लगायत ''ब–2'') इस निर्णय व डिक्री का अ[illegible] तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श– ''ब–1 लगा. ब–2'' के अनुसार सीमाकांन [illegible] रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हक हि[illegible]नुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायाल[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:00 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 111/2018 **GCMS No.2018/00315**

निर्णय दिनांक :– **17.11.2025**

श्रीमती श्रवणी देवी आदि उनवान गणेश आदि

दावा बाबत – **खाता विभाजन**

वादीगण की ओर से **श्री मानसिंह मान एडवोकेट** की उपस्थिति व प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 17.11.**2025** को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

" अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2025 (प्रदर्श –"अ–1 लगायत अ–9" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–"ब–1 लगायत "ब–2") के अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2025 (प्रदर्श –"अ–1 लगायत अ–9" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–"ब–1 लगायत "ब–2") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार खेतडी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श– "ब–1 लगा. ब–2" के अनुसार सीमाकांन करवायेगें। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हक हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **17.11.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

([illegible] चौहान)
[illegible] अधिकारी एवं
पदेन स[illegible] खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन [illegible] कलस्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं